

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 07, गुरुवार, शके 1947- फरवरी 26, 2026 Phalgun 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2026

(See Sec 25(4) of JDA Act)

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-पीआरएन(दक्षिण)/2025/डी-74 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित BASSI SITARAMPURA-B GNSS की योजना भवानी नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 769.96 व.ग. भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 अनुसार (व्यवसायिक), मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार (स्पेशल एरिया) व जोनल विकास योजना-10 के अनुसार (सेक्टर कॉमर्शियल सडक की चौड़ाई का 1.5 गुणा) दर्शाया गया है का Residential से Commercial भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 16.07.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण आयुक्त महोदया से दिनांक 23.09.2025 को अनुमोदन प्राप्त किया जाकर भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति दिनांक 07.11.2025 को प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित BASSI SITARAMPURA-B GNSS की योजना भवानी नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 769.96 व.ग. भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 अनुसार (व्यवसायिक) मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार (स्पेशल एरिया) व जोनल विकास योजना-10 के अनुसार (सेक्टर कॉमर्शियल सडक की चौड़ाई का 1.5 गुणा) दर्शाया गया है का भू-उपयोग उपान्तरण कॉमर्शियल प्रयोजनार्थ किया जाता है। यह अधिसूचना आदिनांक को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।